



2026:AHC-LKO:20583

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 1226 सन 2009

डॉ. मुकेश कंछल

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	खलीक अहमद खान, अजय कुमार सिंह, अजीत कुमार यादव, अरुण सिन्हा, डी.के. आर्य, डॉ. शिप्रा त्रिपाठी, गायत्री सिंह, एम.एम. सलाम, एस.के. अहमद, शोभित सिंह, सिद्धार्थ सिन्हा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, चन्द्रभानु सिंह, कु. उदय भान सिंह, आर.पी. शुक्ला

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति ब्रिज राज सिंह

(आई.ए. संख्या 16 / 2025 - रिकॉल)

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह दिनांक 10.11.2025 के आदेश को वापस लेने हेतु आवेदन है।
3. आवेदन के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र में दिए गए कारण पर्याप्त हैं।
4. आवेदन को **अनुमति** दी जाती है और दिनांक 10.11.2025 का आदेश वापस लिया जाता है। आवेदन को उसके मूल क्रमांक पर बहाल किया जाता है।

(आवेदन पर आदेश)

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र भानु सिंह को सुना गया।
6. यह आवेदन द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के न्यायालय में लंबित आपराधिक मामला संख्या 860 / 2008 (दया शंकर पांडे बनाम डॉ. मुकेश कंछल और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 26.11.2007 का परिवाद, दिनांक 21.7.2008 का समन आदेश और दिनांक 25.3.2009 का आदेश शामिल है।
7. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एफ.ए.ओ संख्या 233 / 2019 (दया शंकर पांडे बनाम ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड) में समझौता कर लिया है। उक्त मामले का निस्तारण समझौते के आधार पर दिनांक 15.9.2022 के आदेश द्वारा किया गया था। दिनांक 15.10.2019 के समझौते के दस्तावेज़ को दिनांक 13.3.2024 के आवेदन के साथ दिनांक 23.11.2022 के आदेश (आई.ए. संख्या 9 / 2024) को वापस लेने के लिए दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी उपरोक्त तथ्यों से इनकार नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यदि उपरोक्त मामले में आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही समझौते के आधार पर रद्द कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और विचारण न्यायालय ने इसकी विधिवत पुष्टि कर दी है।
10. सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह माना है कि न्यायालय वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने तथा आपराधिक कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जहां पक्षों के बीच समझौता हो जाता है। **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य;** (2003) 4 एससीसी 675; **निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो;** (2008) 9 एससीसी 677; **मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य;** (2008) 16 एससीसी 1; **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य;** (2012) 10 एससीसी 303; **नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य;** (2014) 6 एससीसी 466; **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य;** एआईआर 2019 एससी 1296 और **परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य;** (2017) 9 एससीसी 641 के मामलों में भी यही बात कही गई है।
11. उपरोक्त बातों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं; यह मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति का है, जिसे पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया है; इसलिए, मामले को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. तदनुसार आवेदन को **अनुमति** दी जाती है और द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के न्यायालय में लंबित आपराधिक मामला संख्या 860 / 2008 (दया शंकर पांडे बनाम डॉ. मुकेश कंचल और अन्य) की संपूर्ण और सभी परिणामी कार्यवाही, जिसमें दिनांक 26.11.2007 का परिवाद, दिनांक 21.7.2008 का समन आदेश और दिनांक 25.3.2009 का आदेश शामिल है, आवेदकों के संबंध में रद्द की जाती है।

[न्यायमूर्ति ब्रिज राज सिंह]

मार्च 20, 2026
सचिन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।